कार्यालयः– अधीक्षक, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा।

Superintendent Mob.No.- 8521831415 Email- superintendentvims.pawapuri@gmail.com

Website- www.vimspawapuri.org

पत्रांक 231 /

पावापुरी दिनांक 26/03/2018

कोटेशन आमंत्रण सूचना

वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी में इंटर्नशिप के प्रशिक्षणियों को सदर अस्पताल बिहारशरीफ एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रहुई में प्रशिक्षण दिलाने के लिए ले जाने एवं लाने के लिए 14 (चौदह) सीट वाले नन एसी वाहन की आवश्यकता है। इच्छुक ट्रांसपोर्टर/वाहन मालिक जिनके पास वांछित अनुभव हो, वे दिनांक–31.03.2018 अपराह्न 5.00 बजे तक अधीक्षक, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा के कार्यालय में अपना कोटेशन समर्पित करें। प्राप्त कोटेशन पर निर्णय दिनांक–02.04.2018 को अपराह्न 12.30 बजे क्रय समिति के समक्ष लिया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति द्वि–लिफाफा पद्धति में अपना कोटेशन निम्नांकित रूप में समर्पित करें।

1. प्रथम लिफाफा– इस पर तकनीकि निविदा लिखी होगी तथा इसमें पूर्णरूप से भरा हुआ तकनीकि निविदा विहित प्रपत्र में भरा होगा।

2. द्वितीय लिफाफा– इस पर वित्तीय निविदा लिखी होगी एवं इसमें वित्तीय निविदा विहित प्रपत्र में भरा होगा।

दोनों निविदाएँ मुहरबंद कर एक तीसरे लिफाफे में रखें जायेंगें जिसपर **भाड़े की गाडी की सेवा प्रदान करने हेतु कोटेशन** लिखा रहेगा। मुख्य लिफाफे के एक तरफ अधीक्षक, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा–803115 लिखा होगा एवं दूसरी तरफ भेजने वाले का नाम, पूर्ण पता, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 देना होगा।

कोटेशनदाता की पात्रता एवं शर्तें:–

1. कोटेशन अनिवार्यता एवं आवश्यकता के मद्देनजर अल्पकाल के लिए लिया जा रहा है। अतएव यह दर जबतक निविदा के माध्यम से दर एवं सेवा प्रारंभ नहीं हो जाती तब तक के लिए मान्य होगा।
2. इच्छुक व्यक्ति/ट्रांसपोर्टर को इस प्रकार की सेवा देने का पूर्व का अनुभव होना चाहिए। इस संस्थान/स्वास्थ्य विभाग में अगर किसी ने पूर्व में सेवा दी हो तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
3. कोटेशनदाता की फर्म/एजेंसी का नाम काली सूची में नहीं होना चाहिए। उन्हें अपना पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की छाया प्रति तकनीकी निविदा के प्रारूप के साथ संलग्न करनी होगी। उन्हें जी0एस0टी0 (अगर लागू हो तो) से निबंधित होना चाहिए।
4. गाडी बहुत अच्छी स्थिति में होनी चाहिए एवं उसका निबंधन व्यावसायिक होना चाहिए।
5. परिवहन से संबंधित जो भी नियम कानून होंगे उसका अनुपालन करना होगा साथ ही जो भी अभिलेख गाडी के परिवहन संचालन के लिए आवश्यक होगें उसका अनुपालन सेवा प्रदाता को करना होगा। विशेष परिस्थिति में गाडी का संचालन अन्य दिन में भी करना होगा।
6. वाहन में 14 (चौदह) व्यक्तियों के बैठने की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए एवं सीट इत्यादि अन्दरूनी सज्जा सहित उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए।
7. चालक के पास वैद्य ड्राईविंग लाईसेंस एवं इस प्रकार के वाहन चलाने का पर्याप्त अनुभव एवं तकनीकी ज्ञान हो ताकि रास्ते में गाडी के ब्रेकडाउन होने पर परेशानी नहीं हो। चालक को सभ्य, मृदुभाषी एवं अच्छी आदतों वाला होना चाहिए क्योंकि गाडी के यात्री चिकित्सक छात्र हैं। उनका कोई आपराधिक चरित्र नहीं होना चाहिए।
8. इस सेवा के लिए दी हुई गाडी का प्रयोग दूसरे किसी संस्थान एवं प्रयोजन के लिए नहीं होगा। एक बार दी हुई गाडी बिन्ना पूर्व अनुमति के नहीं बदली जाएगी।
9. तकनीकि निविदा के साथ गाडी का रजिस्ट्रेशन एवं ड्राईवर का लाईसेंस संलग्न करना होगा।
10. किसी दूर्घटना/ब्रेकडाउन की सारी जिम्मेदारी सेवाप्रदाता की होगी।

11. अगर कभी किसी कारणवश सेवा उपलब्ध नहीं हो पाई एवं संस्थान को अपना इंतजाम करना पड़ा तो संस्थान द्वारा किया गया खर्च सेवाप्रदाता से वसूलनीय होगा
12. देर होने की स्थिति में रू0 100/– प्रतिघंटा जुर्माना देना होगा।
13. अधीक्षक इस अनुबंध को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

तकनीकी निविदा हेतु प्रपत्रः–

क्र0 सं0	ट्रांसपोर्टर का नाम एवं पता	वाहन का मॉडल	वाहन का नं0	वाहन का स्थायी निबंधन प्रमाण पत्र	अद्यतन प्रदुषण नियंत्रण प्रमाण पत्र	वाहन का टैक्स रसीद	अद्यतन बीमा	मोटरयान अधिनियम के अनुसार अद्यतन	अभ्युक्ति

वित्तीय निविदा हेतु प्रपत्रः–

वित्तीय निविदा में भाड़े पर दिये जाने वाले वाहन को प्रतिदिन वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रहुई तक प्रशिक्षणार्थियों को ले जाना एवं लाना होगा जिसकी कुल दुरी लगभग 60 कि0मी0 प्रतिदिन होगी के लिए प्रतिमाह की दर ईंधन सहित किराया देना होगा।

क्र0सं0	ट्रांसपोर्टर का नाम एवं पता	वाहन का मॉडल	वाहन का मासिक दर ईंधन सहित	अभ्युक्ति

26/3/18

अधीक्षक,
वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल,
पावापुरी, नालंदा।